फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या- 46 वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर -091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय-00-01-वेतन	3600	130	130	130	3470	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें- 00-आयोजनेत्तर -091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय-00-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	230	360	130	130	360
योग-	3600	130	130	130	3470		230	360	130	130	360

- - - - - 2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-
प्रशासनिक सुधार निदेशालय में पद रिक्त होने के कारण।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं :-
सेवा प्रदाता एजेन्सी से 01 वाहन चालक 01 टंकक तथा 01 अनुसेवक की सेवाएं प्राप्त की जानी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या-आर0ई0 119/यू0ओ0/ई-9-357/दस-2015, दिनांक 23 अक्टूबर, 2015
महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राम सुमेर)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

संख्या- 34/2015/1622/43-1-2015-7(7)/2014 दिनांक 10 नवम्बर 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in